



इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना-14

(An Autonomous Institute of Government of Bihar  
Statutory University Created by an Act of Bihar State Legislature)

OFFICE OF THE PRINCIPAL

ज्ञापांक: - इ0गाँ0आ0सं0 / 2020 / 261 / मे0काँ0

दिनांक: - 18 / 05 / 2020

### कार्यालय आदेश

पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश ज्ञापांक 248/मे0काँ0, दिनांक 04/05/2020 द्वारा COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए दिनांक 17/05/2020 तक संस्थान के MBBS का सभी शैक्षणिक कार्य (Online Classes एवं Assessment) बढ़ाया गया था।

पुनः Ministry Of Home Affairs, Govt. of India द्वारा वर्तमान COVID-19 की स्थिति को देखते हुए Notification No. 40-03/2020-DM-1(A) दिनांक 17/05/2020 द्वारा चूकि कुछ शर्तों के साथ चौथे फेज का Lockdown पुनः दिनांक 31/05/2020 तक बढ़ा दिया गया है, जिसके कंडिका 2 (iii) में सभी स्कूलों/कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों एवं कोचिंग इत्यादि को दिनांक 31/05/2020 तक बंद रखते हुए सिर्फ Online Classes चालू रखने का ही आदेश दिया गया है।

अतः इस आलोक में सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत पूर्व निर्गत आदेश संख्या 248/मे0काँ0, दिनांक 04/05/2020 को दिनांक 18/05/2020 से दिनांक 31/05/2020 तक के लिए विस्तारित किया जाता है।

उपरोक्त अवधि में सभी शैक्षणिक कार्य (Online Classes एवं Assessment) पूर्व की भाँति यथावत चलता रहेगा।

निदेशक के आदेशानुसार

ह0/-

(प्राचार्य,)


ज्ञापांक : - इ0गाँ0आ0सं0 / 2020 / 261 / मे0काँ0 दिनांक: - 18 / 05 / 2020

प्रतिलिपि:- निदेशक कोषांग / संकायाध्यक्ष (एकेडमिक) / संकायाध्यक्ष (परीक्षा) / प्रभारी

प्राध्यापक (स्टूडेंट्स वेलफेयर) / चिकित्सा अधीक्षक I & II / संबंधित विभागाध्यक्ष

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

- S.E. (BME) for uploading on Institute website
- सभी संबंधित सूचना पट्ट।

  
(प्राचार्य)